



संपादकीय

तेजी से बढ़ी महंगाई

महंगाई और सामान्य आमदनी ना बढ़ने से ग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहली चोट 50,000 रुपये मासिक से कम आय वाले परिवारों पर पड़ी। अब 50 हजार से एक लाख रुपए आमदनी के बीच वाले परिवार प्रभावित हो रहे हैं। बाजार की ऐंजेसियां जब मध्य वर्ग के हास की बातें करने लगें, तो समझा जा सकता है कि आर्थिक संकट कितना गहरा हो चुका है। मध्य वर्ग किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। यहीं तबका है, जिसके उपभोग की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही होती हैं। मध्य वर्ग का आकार बढ़ रहा है, तो अर्थव्यवस्था में मांग, निवेश, उत्पादन और वितरण का चक्र स्वाभाविक रूप से तेज होता जाता है। यह आर्थिक विकास का वास्तविक पैमाना है। मगर भारत में कहानी पलट चुकी है। सबसे पहले इससे छोटी कारों आदि जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां प्रभावित नजर आईं। फिर रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं की उत्पादक कंपनियों के अधिकारी कहते सुने गए कि भारत में जो मध्य वर्ग होता था, वह सिकुड़ रहा है, जिससे कंपनियों का कारोबार प्रभावित हुआ है। फिर वित्तीय अखबारों में इसकी पड़ताल करते हुए लंबी रिपोर्ट छपने लगीं कि अधिकारी मध्य वर्ग को हुआ क्या है। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का उल्लेख कर बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घरेलू बचत का अनुपात 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारण अनसिक्योर्ड ऋण की मात्रा का बढ़ना है, जिसे चुकाने की जदोजहद में बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब मार्केट ऐंजेसियां इस पर रिपोर्ट जारी कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की आई है। उसके मुताबिक पहले रूटीन नौकरियां मध्य वर्ग का आधार थीं, लेकिन ऑटोमेशन एवं नई तकनीक के उपयोग के कारण ये तेजी से खत्म हो रही हैं। मार्सेलस ने दूसरी बजह घरों का बजट बिगड़ना बताया है। स्पष्टतः इसकी बजह तेजी से बढ़ी महंगाई के कारण परिवारों की घटी वास्तविक आय है। एक अन्य रिपोर्ट में जिक्र है कि महंगाई और सामान्य आमदनी ना बढ़ने से ग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहली चोट 50,000 रुपये मासिक से कम आय वाले परिवारों पर पड़ी। अब 50 हजार से एक लाख रुपए आमदनी के बीच वाले परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यहीं तबका मुख्य उपभोक्ता वर्ग रहा है। उसके बिंदुओं का नतीजा है कि पूरी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था दुश्क्र फंसती नजर आ रही है।

आलेख

आजादी के दशकों बाद भी देश की सड़कों के हाल बेहाल

रजनीश कपूर

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई

- डॉ. रमेश ठाकुर

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाकरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगें भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहरान किसी टिप्पणीकार के लिए बईमानी सा होता है किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमरा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहियां थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैसे अपने जगह रुक गए। दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबां आंदोलन करने के मूँह में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगें मानी जाएं उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुक्मती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया। दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामार्य

फलाईओवर के पास एकत्रित हुए, पिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुक्मती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती हैं। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफ़ी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामाज़ाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि हैं उनके पास। किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगें, उन्हें ज़मीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगें भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंडियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है

उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे। प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बड़ा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिफर दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदाशा में देर नहीं करेंगे। हालांकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से ज़दा दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फँसे रहे एम्बूलेंस भी नहीं निकल पाई। नौकरीपेश समय रुका, अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आप समेत आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंग और नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे की उनका किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा और पक्षल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर्षित हो जाए।

नौकरशाही

ए.क. खड़लवाल

काम करत ह। पारणामस्वरूप अनावश्यक दरा आर अक्षमताएं पैदा होती हैं। अंतर्रिभवागीय संवाद को बढ़ावा देने और डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने से परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में तेजी आई है और नौकरशाही से जुड़ी अनावश्यक बाधाएं समाप्त हो गई हैं। पीएमजीएस के कार्यान्वयन से योजना निर्माण में काफी सुधार आया है। गतिशक्ति के आने से पहले जहां प्रत्येक वर्ष 6-7 परियोजनाएं ही स्वीकृत होती थीं, वर्हा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 73 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रिकॉर्ड हैं। कुल 5,309 किमी। नई लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन की परियोजनाओं के पूरा होने के साथ परियोजनाओं के अंतिम रूप से कार्यान्वित होने का रिकॉर्ड भी काफी ऊपर पर पहुंच गया। रेल विद्युतीकरण 7,188 रूट किमी। (आरकेएम) के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और ट्रैक कमीशनिंग की गति 4 किमी। प्रति दिन से बढ़कर 15 किमी। प्रति दिन हो गई है। प्रभावी रूप से पीएमजीएस-एनएमपी कहां, क्या और कब की विस्तृत मैपिंग के माध्यम से बुनियादी ढांचे की भविष्योन्मुखी योजनाएं बना रहा है। इसमें सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे, ट्रैक एवं उपयोगिता नेटवर्क, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, पर्यटन स्थल, भूमि राजस्व मानचित्र और बन सीमाओं से जुड़े सटीक एवं व्यापक आंकड़ों का समावेश है। ये जानकारियां परियोजनाओं के योजना निर्माण और

कायान्वयन का दृष्टि स महत्वपूर्ण ह। सभ परियोजनाओं की जाच (एनपीजी) नेटवर्क प्लानिंग रूप द्वारा की जाती है, जिसमें अतिरेक और निर्माण के बाद केबल/पाइप बिछाने के लिए नई बनी सड़कों को तोड़ने जैसी स्थितियों से बचते हुए समन्वित योजना निर्माण हेतु बुनियादी ढांचे से संबंधित सभ मंत्रालय शामिल हैं। उदाहरण के लिए हाउसिंग सोसाईटियां अब निवासियों के आने से पहले सीवेज बिजली तथा अन्य सुविधाओं से लैस होंगी और कार्रवाई के लिए शिकायतों के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा। मांगों के बढ़ने से पहले ही विस्तारित हो रहे उपनगरों के पास स्थित गोदामों को समय पर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी और विस्तार के दौर से गुजर रहे बंदरगाहों को पर्याप्त रेलवे निकासी और मल्टीमोडल लिंक का लाभ मिलेगा। योजना निर्माण की इस कुशल क्षमता को भास्करराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने पीएमजीएस-एनएमपी के विकसित करने में महती भूमिका निर्भाव है। गतिशक्ति की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू बुनियादी ढांचे का उन प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में निहित है, जिनका कनेक्टिविटी, दक्षता और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। रेलवे अब शुरू आती और अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी के लिए आर्थिक केंद्र, खदानों

बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट का आदेश मनमानी पर अंकुश

योगेंद्र योगी

बुलडोजर एक्शन में यही बात नजर आती है। दरअसल यह काम देश की अदालतों का है कि सुनवाई के बाद आरोपी को सजा देने या नहीं देने का। बुलडोजर एक्शन में ऐसे न्याय की संभावना पहले ही खत्म हो जाती है, जहां बगैर किसी सुनवाई के फैसला सुना दिया जाता है। सरकारों को गलतफ़ैही है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें मनमानी का अधिकार मिल जाता है। इसी भ्रम में सरकारें अपने को अदालत से ऊपर समझने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में फैसला देकर सरकारों का यह सपना तोड़ दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली की आप सरकार के मामले में दिया है, किन्तु यह लागू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित केस में दो टूक कहा है कि इस



प्रदेश में योगी सरकार
या गैंगस्टर का सफ़
हद तक अपराधों पर
इस कार्रवाई से शर्करा
रखता हो। सवाल यह
रोकने की आड़ में
ऊपर है। बुलडोजर
नजर आती है। दरअल
अदालतों का है कि
को सजा देने या न
एकशन में ऐसे न्याय
खत्म हो जाती है, जो
के फैसला सुना दिया
आयोगी गलत ना
दुकान तुड़वाने की
जबकि सजा तय
अदालतों की है। स

ने जिस तरह मपिया किया, उससे काफी लगाम लग सकती है। यदि ही कोई इत्पक्षी आता है कि अपराध सरकार क्या कानून से एकशन में यही बात सल यह काम देश की नुनवाई के बाद आरोपी देने का। बुलडोजर की संभावना पहले ही हां बगैर किसी सुनवाई नहीं हो तो उसे घर या भुगतानी पड़ती है। करने की जिम्मेदारी सरकारों की यह हरकत निश्चित तौर पर अदालतों द्वारा खलनायी रही है। बुलडोजर कार्रवाई सरकारों को बेलोकप्रियता दिला सकती है, महाराजगंज जिले में सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में एक मकान गिराने के लेकर कोर्ट ने टिप्पणी दी और उत्तर प्रदेश सरकार का जुर्माना भी लगाया। विकास कार्यों के लिए की गई इसमें सरकार की वह मंशा किसी अपराधी का घर गैरव कब्जा की बात कहकर गिराई भी कोर्ट ने पीड़ित की बात सुनी के अतिक्रमण हटाने की भी वाली बने हुए हैं। उनका पालना विसीधे बुलडोजर दौड़ा देना, अ

जाएगा। ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है, जहां आम आदमी की सम्पत्ति को अतिक्रमण के नाम पर ढहा दिया जाता है। वहीं रसुखदारों की तरफ प्रशासन की आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। देश का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां, प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण तोड़े में सरकार और प्रशासन ने उदाहरण पेश किए होंगे। सरकार और प्रशासन प्रभावशाली लोगों के सामने कैसे नतमस्तक हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोएडा के ट्रिवन टावर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स और सियान टॉवरों को अवैध ठहराया था। दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कपनी को प्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसें वापस करने का आदेश दिया। जबकि इस मामले में सरकार और नोएडा अौथरिटी सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ ध्वस्तकरण पर निगरानी करने और रिपोर्ट अदालत को देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के कुछ महीनों बाद बाद ट्रिवन टावर को ढहा दिया गया। बुलडोजर एक्सप्रेसवे लेने वाली सरकार और प्रशासन को यह पहले से ही पता था कि ये टावर नियमों के विपरीत बनाए गए हैं।

